

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता
SYAMA PRASAD MOOKERJEE PORT, KOLKATA
हल्दिया गोदी परिसर
HALDIA DOCK COMPLEX.

वित्त प्रभाग का कार्यालय
Finance Division's Office

5 वां तल, राजस्व अनुभाग, जवाहर टावर, पो.- हल्दिया टाउनशिप- 721607
5th Floor, Revenue Section, Jawahar Tower, P.O.-Haldia Township-721607.

एफडी- 32/14/एचआर

दिनांक- 22 जून, 2021


ट्रेड परिपत्र

विषय: श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता, हल्दिया गोदी परिसर की ओर से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 एबी एवं 206 सीसीए के अनुपालन हेतु घोषणा ।

उपरोक्त अनुपालन संबंधी मुद्दों के संदर्भ में, हमारे सभी महत्वपूर्ण पोर्ट उपयोगकर्ताओं को यह सूचित किया जाता है कि कृपया आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 एबी एवं 206 सीसीए के अनुसार टीडीएस और टीसीएस दर लागू नहीं करने हेतु घोषणा पत्र की संलग्न प्रतियां प्राप्त करें। साथ ही, निर्धारित वर्ष 2019-20 और 2020-21 के संबंध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (पूर्व में कोलकाता पत्तन न्यास) द्वारा दाखिल आयकर रिटर्न की पावती की प्रतियां भी सभी संबंधित हितधारकों की जानकारी एवं रिकॉर्ड के लिए संलग्न है। उपरोक्त दस्तावेज पोर्ट वेबसाइट [<https://smporkolkata.shipping.gov.in/>] पर भी उपलब्ध है।

हल्दिया गोदी परिसर के सभी संबंधित पोर्ट उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि उक्त विषय को नोट करें एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (पूर्व में कोलकाता पत्तन न्यास), हल्दिया गोदी परिसर के पैन : AAAJK0361L में भुगतान करते समय धारा 206 एबी के अनुसार टीडीएस की कटौती न करें एवं धारा 206 सीसीए के अनुसार टीसीएस को कार्यान्वित करें।

सधन्यवाद,

सादर,

(एस. मुखर्जी)
उप प्रबंधक (वित्त)
कृते वरि. उप प्रबंधक (वित्त)
एसएमपी, कोलकाता, एचडीसी

संलग्नक: यथोपरि ।